सेवा में,

दिनांक : 13-02-2019

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड
देहरादून, उत्तराखण्ड।

महोदय,

कार्यालय
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड
देहरादून
पत्रांक 1123
दिनांक 14/02/2019

ओकाफ नम्बर 425, मस्जिद मुरादनगर, बल्लुपूर रोड़, देवसुमन नगर (चोरखाला) देहरादून द्वारा इन्तजामिया कमेटी निम्न निवेदन करता है :-

1- यह कि आवेदक माननीय महोदय से वक्फ संख्या 195 की धारा-54 के अन्तर्गत अतिचारी श्री रियासत खान पुत्र श्री कल्लू खान, पता दुकान नं0 425, मस्जिद मुरादनगर, बल्लुपूर रोड (देवसुमन नगर) (चोरखाला) देहरादून के विरूद्ध वक्फ सम्पत्ति से निष्कासन की मांग हेतु अनुरोध करता है।

15.02.19

2- यह कि श्री रियासत खान पुत्र श्री कल्लू खान, वक्फ सम्पत्ति के एक भाग में, जिसका विवरण सूची में दिया गया है, में किरायेदार थे, उनकी सम्पत्ति, सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा-106 के अर्न्तगत सूचना पत्र दिनांक 11-01-2019 स्पीड पोस्ट सं0 RV640783708IN के द्वारा दिया गया, जो कि श्री रियासत खान पर दिनांक 14-01-2019 को तामिल हुआ। श्री रियासत खान की किरायेदारी दिनांक 13-02-2019 को विधिनुसार समाप्त हो गयी है, उक्त सूचना पत्र व तामिल के अनुसार उपरोक्त अक्रांता ने सम्पत्ति को रिक्त नहीं किया है और न ही अपना सामान हटाया है।

3- यह कि उपरोक्त व्यक्ति पर माह अप्रैल 2016 से सूचना पत्र की तामिल दिनांक 14-01-2019 के 30 दिन व्यतीत होने की समयावधि तक अंकन 1,16,961/- रूपये किराया तथा सूचना पत्र व्यय अंकन 1500/- रूपये शेष है। माननीय महोदय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन रहते तथा अन्तिम करण तक आवेदक अंकन 1,000/- रूपये प्रतिदिन के रूप में वासलात पाने का अधिकारी है।

4- यह कि जिस सम्पत्ति से विपक्षी को निष्कसित करना है, उसका विवरण निम्नानुसार है :-

<u>सूची सम्पत्ति</u>

भूतल पर स्थित दो दुकानें वक्फ सं0 425, मस्जिद मुरादनगर, बल्लुपूर रोड़, (देवसुमन नगर) (चोरखाला) देहरादून (उत्तराखण्ड), जिसकी सीमायें निम्न प्रकार है :-

पूरब में :- सड़क

पश्चिम में :- सम्पत्ति मस्जिद

उत्तर में :- सम्पत्ति मस्जिद

दक्षिण में :- शेष सम्पत्ति मस्जिद।

अतः माननीय महोदय से नम्र प्रार्थना है कि वक्फ अधिनियम-1995 की धारा-54 की प्रक्रिया प्रारम्भ की जावे।

वक्फ सं0 425,
मस्जिद मुरादनगर बल्लुपूर रोड़
(देवसुमन नगर) (चोरखाला), देहरादून
द्वारा इन्तजामिया कमेटी,
निर्देश द्वारा श्री अख्तर हुसैन फारुकी,
सदर इन्तजामिया कमेटी तथा अधिकृत प्रतिनिधि

Date 09.01.2019

प्रस्ताव

आज दिनांक 09.01.2019 बाद नमाज़ ज़ोहर मस्जिद में मस्जिद इन्तज़ामिया कमेटी की मीटिंग हुई।

जिसमें सर्व सम्मति से ये तय पाया गया कि मस्जिद की दुकानों में जो किरायेदार हैं जो किराया नहीं दे रहे हैं इनके बारे में कानूनी कार्यवाही करने हेतु एड० [illegible] हुसैन कासमी को नियुक्त किया जाता है इनके द्वारा ही दुकानदारों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी.

1. इरशाद पीर — [illegible]
2. रियाजुद्दीन Riazuddin — [illegible]
3. शाहनवाज़ हैदरी
4. Aqeel Ahmed Siddiqui — [illegible]
5. अब्दुल हमीद
6. मो० इमरान
7. M. Imran
8. [illegible]
9. [illegible]
10. नवाब हुसैन
11. Shahid

[illegible]

Saif Ullah
Advocate

Camp Office
105, Chakrata Road,
Dehra Dun (Uttarakhand) (INDIA)
☎ 0135-2530077, 2530377 (Office)
Court 2727547

सेवा में, **दिनांक : 11-01-2019**

श्री रियासत खान
पुत्र श्री कल्लू खान
पता :- दुकान वक्फ नं0 425,
मस्जिद मुरादनगर,
बल्लुपूर रोड़ (देवसुमन नगर) (चोरखाला)
देहरादून (उत्तराखण्ड)।

अपने व्यवहारी वक्फ सं0 425, मस्जिद मुरादनगर बल्लुपूर रोड़ (देवसुमन नगर) (चोरखाला), देहरादून द्वारा इन्तजामिया कमेटी, निर्देश द्वारा श्री अख्तर हुसैन फारुकी, सदर इन्तजामिया कमेटी तथा अधिकृत प्रतिनिधि, के निर्देशानुसार आपकी सेवा में निम्न सूचना पत्र प्रेषित है :-

(1) यह कि आप मेरे व्यवहारी की ओर से इस सूचना पत्र की सूची में वर्णित सम्पत्ति में अंकन 1200/- रूपये प्रतिमाह के किरायेदार आबाद रहे हैं। आपने माह अप्रैल-2016 से माह 31-12-2018 तक का किराया अंकन 1,14,561/- रूपये मेरे व्यवहारी को अदा नहीं किया है।

अतः आपसे मांग की जाती है कि आप इस सूचना पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपरोक्त किराये की धनराशि तथा अंकन 1500/- रूपये सूचना पत्र व्यय मेरे व्यवहारी को अदा करके, रसीद प्राप्त कर लें। ऐसा न होने पर आपके विरूद्ध विधिक् कार्यवाही प्रभावित की जायेगी।

(2) यह कि मेरा व्यवहारी आपको किरायेदार नहीं रखना चाहता है और किरायेदारी समाप्त करने के उद्देश्य से वर्तमान सूचना पत्र दिया जा रहा है। आपको सूचित किया जाता है कि आपकी

किरायेदारी वाली सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति का भाग है और उस पर वक्फ अधिनियम-1995 प्रभावी है, अधिनियम के प्रभावी रहने से आपको किसी अधिनियम की सुरक्षा प्राप्त नहीं है और आप सम्पत्ति को रिक्त करने के लिए बाध्य हैं।

अतः आपसे मांग की जाती है कि आप इस सूचना पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपनी किरायेदारी वाली सम्पत्ति का वास्तविक रिक्त अध्यासन मेरे व्यवहारी को समर्पित कर दें। उपरोक्त समयसीमा समाप्त होने के उपरान्त यदि आपने उक्त सम्पत्ति को रिक्त नहीं किया तो आपके विरुद्ध उचि कार्यवाही प्रभावित की जायेगी।

(3) यह कि आपको यह भी सूचित किया जाता है कि वक्फ अधिनियम-1995 की धारा-3(डड) के अर्न्तगत किरायेदारी समाप्त होने के उपरान्त आप अतिक्रमणकर्ता हो जायेंगे और आपको वक्फ अधिनियम-1995 (यथासंशोधित अधिनियम-2013) के प्राविधानों के अनुसार धारा-54 के अर्न्तगत आपके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इसका व्यय आपसे प्राप्त किया जायेगा।

सूची सम्पत्ति

भूतल पर स्थित दो दुकानें वक्फ नं0 425, मस्जिद मुरादनगर, बल्लुपूर रोड़ (दिवसुमन नगर) (चोरखाला) देहरादून (उत्तराखण्ड)

(अख्तर हुसैन फारूकी)
पुष्टिकर्ता

(सैफ उल्लाह)
अधिवक्ता